04 09/25 पराडली पेश हुई। वकील वादी व वादी को आदेश लगाई गई। अ. बार आदेश लागू के बावजूद भी वकील वादी व वादी पापलब्ध हाजिर नहीं होकर वादी की वाद अब आगे आदेशिका के लिए नियत है। पराडली फौजदारी दुरुस्त होकर मुकदमा के रूप होकर दाखिल हेतु है।

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़